

पत्रावली सं० २५/२०२१.....सरकार बनाम.....महिमा सिंह.....

आज्ञा का त्रिनांक	आज्ञा या कार्यवाही	पत्र क्रमांक व दिनांक जो इस आज्ञा के पालनार्थ प्रेषित किया
15/02/2021	<p>आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। अप्रार्थी उपस्थित/अनुपस्थित है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कि श्री <u>महिमा सिंह</u></p> <p>पुत्र श्री <u>सुरजमोहन</u> जाति: <u>रामसिंह</u></p> <p>निवासी <u>बरायला</u> में फसल <u>रबी/खरीफ</u></p> <p>संवत्/सन् <u>२०२१</u> में गांव/चक नं० <u>३ B W S M</u></p> <p>के मु० नं० <u>५ २९५</u> में <u>२.५३० हे०</u> बीघा</p> <p>स्थित व <u>— ३२५</u> असिंचित कुल <u>२.५३० हे०</u> बीघा</p> <p>बीघा भूमि आराजी राज में अतिक्रमण कर अवैध कारत की है।</p> <p>अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत मामला दर्ज रजिस्टर कर उसे नोटिस दिया गया। अप्रार्थी स्वयं बांधवपूद तामील के उपस्थित नहीं अतः उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।</p> <p>यह राजकीय भूमि पर अवैध कारत करने से अतिक्रमी सिद्ध है अतः अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उसे उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से कारत की गई फसल कुर्क करके बहक राज्य सरकार जब्त करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अप्रार्थी पर माल गुजारी व मालकाना की <u>५० गुणा</u></p> <p>गुणा पेनल्टी राशि रु० <u>१०३९</u> अखरे रु० <u>१६६५५२</u> का निराकरण</p> <p>अधिशोधित की जाती है।</p> <p>यू अनिलेख निरीक्षक हल्का को कुर्क शुद्ध फसल को निलाव करने हेतु लिखा जावे टी० आर० ए० को पेनल्टी की मांग क्रायत कराई जावे पटवारी हल्का पेनल्टी राशि की बसूली करने एवं अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल कर कब्जा बहक राज्य सरकार हेतु लिखा जावे।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जायें।</p>	<p>उप तहसीलदार तहसीलदार (पंचजस) जिला सीएमओ रायसिंहनगर</p>

2020-2021
पुस्तक सं० २११
12
फसल निरीक्षण
की भाग कृषक व
10397
तहसील